

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

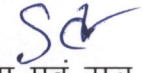
—::आदेश::—

क्रमांक 275/दो-16-08/2025

नर्मदापुरम, दिनांक 20.07.2026

श्रीमती संगीता डावर मौर्य, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोहागपुर जिला नर्मदापुरम का कार्यालय आदेश क्रमांक 248 दिनांक 02.03.2026 द्वारा स्वीकृत 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की निरंतरता में रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक सी/57/चार-8-70/2025 जबलपुर दिनांक 07.01.2026 के साथ संलग्न म0प्र0 शासन वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक 315 भोपाल दिनांक 24.11.2025 के अनुसार म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के नियम 40 के उपनियम (1) के अंतर्गत, दिनांक 13.08.2026 से 30.09.2026 तक कुल 49 दिवस का संतान पालन अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदिका के संतान पालन अवकाश लेखे में 608 दिवस का स्वत्व शेष है।

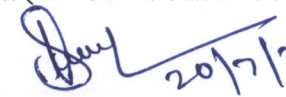

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

क्रमांक 3272/दो-16-08/2025

नर्मदापुरम, दिनांक 20.07.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

- 01 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 श्रीमती संगीता डावर मौर्य, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोहागपुर जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)